समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

दिनांक 20.04.2015 को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

क्र	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा के द्वारा बताया गया कि एम0जे0सी0 के निम्न मामले लंबित है। एम0जे0सी0 भुवनेश्वर यादव बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, बहेड़ी से संबंधित है, अंचलाधिकारी, बहेडी के स्तर पर की गयी अद्यतन कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन अप्राप्त है। शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 अजय कुमार चौधरी बनाम राज्य का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से संबंधित है। इस मामले में संशोधित तथ्य विवरणी अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से प्राप्त हो गयी है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 जगदीश पासवान बनाम राज्य का मामला अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से संबंधित है। यह मामला ज0वि0प्र0 के अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने से संबंधित है। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक को जिला चयन समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने एवं जिला चयन समिति को उस पर अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम इसकी जाँच कर ली जाय कि आवेदक द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है अथवा नहीं। यदि आवेदन अप्राप्त है तो आवेदक से आवेदन प्राप्त कर अविलंब अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। एम0जे0सी0 सत्यनारायण गुप्ता बनाम राज्य का मामला शिक्षक नियोजन का है एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले से संबंधित है। इस मामले में जिला स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। एम0जे0सी0 सुरेश दास बनाम राज्य का मामला प्रखंड विकास पदाधिकारी, बहादुरपुर से संबंधित है, जो शिक्षक नियोजन का है, इसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना द्वारा बताया गया कि इस मामले में कारणपृच्छा दाखिल की जा चुकी है, उन्हें ओथ नम्बर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0. शत्रुघ्न प्रसाद बनाम राज्य का मामला सिविल सर्जन, दरभंगा से संबंधित है। सिविल सर्जन के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सिविल सर्जन इस मामले में कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु आज पटना गये है। उन्हें ओथ नम्बर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 नईमुद्दीन बनाम राज्य सरकार के मामले में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि इस मामले में कारणपृच्छा दाखिल की जा चुकी है, उन्हें ओथ नम्बर आदि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 रजनी महतो बनाम राज्य सरकार का मामला जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है। वे इस संबंध में [illegible] अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एम0जे0सी0 बेबी देवी बनाम राज्य का मामला [illegible] से संबंधित है। उप विकास आयुक्त, दरभंगा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा [illegible] आदेश का अनुपालन करते हुये तथ्य विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। एम0जे0सी0 मो0 नैनवती साहू बनाम राज्य का मामला जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है, उन्हें इस मामले में शीघ्र तथ्य विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ,स्थापना/जिला शिक्ष पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा/जिला स्तरीय सभी विभागीय एव तकनीकी पदाधिकारी, दरभंगा

2.	महत्वपूर्ण सी0डब्लू0जे0सी0 में विकास चन्द्र गुड्डू बाबा बनाम राज्य की अगली सुनवाई 22.05.2015 को निर्धारित है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 इन्द्रकान्त झा बनाम राज्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा से संबंधित है। यह मामला कुशेश्वरस्थान में तालाब बन्दोबस्ती का है। जिला मत्स्य पदाधिकारी, दरभंगा इस संबंध में अविलंब अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। सी0डब्लू0जे0सी0 प्रदीप कुमार मिश्र बनाम राज्य का मामला भू–अतिक्रमण से संबंधित है। यह वाद अंचल अधिकारी, सिंहवाड़ा से संबंधित है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सिंहवाड़ा प्रखंड को इस संबंध में अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 यशोदा सदा बनाम राज्य का मामला अंचलाधिकारी, कु0स्थान से संबंधित है। वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कु0स्थान इस संबंध में शीघ्र तथ्य विवरणी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सी0डब्लू0जे0सी0 नीलू देवी बनाम राज्य का मामला शिक्षक नियोजन से संबंधित है, इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना द्वारा बताया गया कि प्रति शपथ पत्र दाखिल हो चुका है, उन्हें ओथ नम्बर आदि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कु0स्थान, सिंहवाड़ा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना
3.	लोक सेवाओं का अधिकार की समीक्षा के क्रम में स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा बताया गया कि गत सप्ताह में 10500 रूपये दण्ड की राशि की वसूली अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा की गई है। उन्हें निदेश दिया गया कि अन्य कर्मियों पर जिनसे दण्ड की राशि वसूलनी है, से राशि की वसूली शीघ्र की जाय एवं उनके विरूद्ध प्रपत्र–क गठित कर शीघ्र कार्रवाई की जाय। Sync की समीक्षा के क्रम में स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग में गत सप्ताह मात्र 75 प्रतिशत Sync हुआ है, जिसकी समीक्षा में पाया गया कि शिक्षा विभाग के आई0टी0 सहायक जिस दिन अवकाश में रहते है, उस दिन Sync नहीं होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करते हुये प्रत्येक दिन 100 प्रतिशत Sync करवाने का निदेश दिया गया। स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि गत सप्ताह में हनुमाननगर, जाले, मनीगाछी, अलीनगर, बेनीपुर, घनश्यामपुर, किरतपुर, गौड़ा बौराम, कु0स्थान पूर्वी प्रखंडों से छापामारी का प्रतिवेदन अप्राप्त रहा है। इन सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को नियमित रूप से छापामारी कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।	स्थापना उप समाहर्त्ता/प्रभारी जिला आई0टी0 प्रबंधक, दरभंगा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा/संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी
4.	आधार कार्ड की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इसकी प्रगति अत्यंत धीमी है। अभी तक मात्र 27 प्रतिशत प्रगति हुई है। कु0स्थान एवं किरतपुर प्रखंडों में तो अभी कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ है। उपरोक्त दोनों प्रखंडों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाने का निदेश देने तथा आधार कार्ड तैयार करने में तेजी लाने की कार्रवाई करने का निदेश उप विकास आयुक्त, दरभंगा को दिया गया।	उप विकास आयुक्त, दरभंगा
5.	बिहार शिक्षा परियोजना में असमायोजित अग्रिमों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रोग्राम अग्रिम मद में 1.12 करोड़ तथा सिविल मद में 67.55 करोड़ रूपये अभी भी असमायोजित है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को निदेश दिया गया कि एक माह के अन्दर शत प्रतिशत अग्रिम की राशि का समायोजन सुनिश्चित करावें।	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान
6.	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण मद का 2.10 करोड़ रूपये का डी0सी0 विपत्र कार्यपालक अभियंता, स्था0क्षे0अभि0 संगठन, दरभंगा-1 के यहां लंबित है। कार्यपालक अभियंता द्वारा इस संबंध में बताया गया कि उन्हें [illegible] विद्यालय भवन निर्माण [illegible] प्राप्त हुई है, जिसमें से एक विद्यालय की राशि [illegible] दी गयी है एवं 93 लाख रूपये का डी0सी0 विपत्र जमा करवा दिया गया है। +2 उच्च विद्यालय दुलारपुर, कोथू, बैरमपुर एवं नेहरा का भवन निर्माण किया गया है। भवन निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत कराने तथा अवशेष राशि 20.87 लाख का डी0सी0 विपत्र शीघ्र समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, स्था0क्षे0अभि0 संगठन, दरभंगा-1

	धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के कम में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि सभी संबंधित कर्मियों पर प्रपत्र–क गठित कर लिया गया है, आज उसे विभाग को कार्रवाई हेतु भेजा जायेगा। शत प्रतिशत प्रमादी राईस मिलरों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। केवल 8 करोड़ से अधिक वाले प्रमादी मिलरों के मामले में आर्थिक अपराध इकाई में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, उन्हें आज ही विभागीय निदेश के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। धान अधिप्राप्ति के सत्यापन का प्रतिवेदन श्री कमर आलम, वरीय उप समाहर्त्ता को छोड़कर अन्य पदाधिकारियों से प्राप्त हो गया है। श्री आलम को आज ही उक्त प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जॉच प्रतिवेदनों की समीक्षा के कम में देखें कि अधिप्राप्ति के विरूद्ध कितने का भुगतान हुआ है और कितने का भुगतान लंबित रह गया है। खाद्यान्न उठाव की समीक्षा के कम में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि अप्रैल का शत प्रतिशत उठाव कर लिया गया है तथा मई का गेहूँ 5 प्रतिशत एवं चावल 12 प्रतिशत उठाव हो चुका है। उन्हें उठाव कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। खाद्यान्न वितरण के संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि अभी तक 50 प्रतिशत एस0आई0ओ0 जेनरेट चुका है एवं 40 प्रतिशत खाद्यान्न भेज दिया गया है। एस0आई0ओ0 जेनरेट करने के सिस्टम में कुछ परिवर्त्तन हो रहा है, जिसके कारण एस0आई0ओ0 निकल नहीं पा रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को विभाग से इस संबंध में आज ही वार्ता करने एवं अप्रैल माह का डिस्पैच इसी माह में सुनिश्चित करवाने का निदेश दिया गया।	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, दरभंगा / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा / श्री कमर आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा
8.	जिला कल्याण पदाधिकारी के जिम्मे अल्पसंख्यक कल्याण की राशि थी, जिसका डी0सी0 विपत्र संबंधित कार्य एजेन्सियों से प्राप्त कर उन्हें समर्पित करना था। परन्तु जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अभी तक डी0सी0 विपत्र समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें इस सप्ताह में हर हाल में डी0सी0 विपत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया अन्यथा उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी।	जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा
9.	कर्पूरी छात्रावास निर्माण के लिए जमीन अंचलाधिकारी, दरभंगा एवं बहादुरपुर के सहयोग से प्राप्त करने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया था, परन्तु अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया है। उन्हें पुनः निदेशित किया गया कि इस सप्ताह में अचूक रूप से छात्रावास निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर प्रतिवेदन समर्पित करें।	जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा
10.	छात्रवृति की राशि जिन–जिन संस्थानों को भेजी जाती है, उन संस्थानों के संबंध में सत्यापन करने का निदेश अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच को दिया गया था। अपर समाहर्त्ता विभागीय जॉच द्वारा बताया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं दिये जाने एवं संबंधित संस्थानों की सूची उपलब्ध नहीं कराने के कारण सत्यापन कार्य नहीं किया जा सका। जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग करते हुये अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच को आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने एवं अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच को इस सप्ताह में उपरोक्त सत्यापन कार्य करने का निदेश दिया गया।	अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, दरभंगा / जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा।
11.	गत लोकसभा चुनाव के दौरान उपयोग में लाये गये वाहनों के भुगतान के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शीर्ष 2015 की राशि उन्हें प्राप्त हो गयी है, जिसका वितरण किया जा रहा है, आज वितरण समाप्त हो जायेगा। शीर्ष 2055 के अन्तर्गत जो लॉगबुक प्राप्त हुये है, इसकी राशि की माँग की गयी है। जिला परिवहन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं नजारत उप समाहर्त्ता, दरभंगा को निदेश दिया गया कि वे आपसी समन्वय करते हुये इस सप्ताह में शत प्रतिशत वाहन मालिकों का भुगतान सुनिश्चित करावें एवं संयुक्त रूप से इस आशय का प्रमाण पत्र समर्पित करें कि मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में 100 प्रतिशत वाहन मालिकों के बीच राशि का वितरण हो गया है। वर्ष 2005 एवं 2010 के निर्वाचन [illegible] राज्य पथ परिवहन निगम की राशि भी बकाया बतायी गयी है। नजारत उप समाहर्त्ता इसकी जॉच कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।	जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा / उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा / नजारत उप समाहर्त्ता, दरभंगा
12.	ग्रामीण कार्य विभागों को पुरानी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने के लिए राशि विमुक्त की जानी है। कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि योजनाओं की अद्यतन स्थिति प्रतिवेदित करते हुये राशि की माँग करें।	सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग

13.	अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लाभुकों के खाते में भारत सरकार द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे राशि अंतरित की जा रही है। प्री–मैट्रिक छात्रवृति 2014–15 के वितरण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सभी विद्यालयों को पत्र लिखा गया है कि वे अपने यहाँ के लाभुक बच्चों के खाता संख्या उपलब्ध करा दें ताकि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से विद्यार्थी के खाता में ही छात्रवृति की राशि का अंतरण किया जा सके।	जिला शिक्षा पदाधि[illegible] दरभंगा / जिला अल्पसं[illegible] कल्याण पदाधिकारी, दरभं[illegible]
14.	निर्वाचन कार्यों की समीक्षा के कम में डुप्लीकेट नामों को मतदाता सूची से हटाने के संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हर विधानसभा क्षेत्र में पाये गये डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या के अनुरूप बेवसाईट पर अपलोड नहीं किया गया है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को शत् प्रतिशत डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम अपलोड करवाने का निदेश दिया गया एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र समर्पित करने का भी निदेश उन्हें दिया गया। कट्रोंल टेबुल में सुधार की समीक्षा के कम में पाया गया कि 78–कुशेश्वरस्थान, 79–गौड़ा बौराम में शत प्रतिशत सुधार हो चुका है, लेकिन बी0एल0ओ0 द्वारा प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कुछ–कुछ मतदान केन्द्रों का सुधार बॉकी है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को कंट्रोल टेबुल में शत्प्रतिशत सुधार करवाते हुये संबंधित बी0एल0ओ0 से इस आशय का प्रमाण–पत्र तैयार करवा कर समर्पित करवाने का निदेश दिया गया।	सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी / उप निर्वाचन पदाधिकारी
15.	समीक्षा के कम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी भी 13 जगहों पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसमें से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1 के जिम्मे 8 तथा कार्यपालक अभियंता, स्था0 क्षेत्र अभि0 सं0 बेनीपुर–2 के जिम्मे 5 पंचायत सरकार भवन है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1 द्वारा बताया गया कि अधिकांश जगहों पर जमीन विवादित रहने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, जिसमें जाले पूर्वी, राढ़ी पश्चिमी तथा सिंहवाड़ा प्रखंड के शंकरपुर, मनिकौली आदि शामिल है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर को इन सभी स्थलों पर जाकर समस्या का समाधान करने का निदेश दिया गया।	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर / कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, दरभंगा–1, बेनीपुर–2
16.	समीक्षा के कम में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों में तेजी लाने एवं लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करवाने का निदेश कार्यपालक अभियंता, प्रोजेक्ट को दिया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि रामनगर विद्युत उपकेन्द्र के लिए जमीन का एकरारनामा हुआ है तथा सिंहवाड़ा विद्युत उपकेन्द्र के लिए भी जमीन उपलब्ध हो गया है। किरतपुर में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का ले–आउट हो चुका है लेकिन मब्बी उपकेन्द्र के लिए अभी भी जमीन उपलब्ध नहीं हुई है। उन्हें अंचलाधिकारी, सदर के सहयोग से मब्बी उपकेन्द्र के लिए जमीन की खोज करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को किरतपुर विद्युत उपकेन्द्र के लिए अधिग्रहित जमीन की राशि विभाग से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, प्रोजेक्ट / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा
17.	समीक्षा के कम में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि जिन व्यक्तिगत [illegible] निर्माण 2 अक्टूबर 2014 के बाद किया गया है उन शौचालयों के लिए [illegible] राशि का भुगतान किया जायेगा। सभी जॉच पदाधिकारियों को तदनुसार शौचालयों की [illegible] जॉच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे प्रखंड समन्वयकों को सही [illegible] समर्पित करने का निदेश अपने स्तर से निर्गत करें।	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा / सभी जॉच पदाधिकारी
18.	वैसे विभाग जो वि[illegible] के दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं, उन्हें भी अपने [illegible] कार्यालय में सी0सी0 [illegible] कैमरा लगवाने का निदेश दिया गया।	संबंधित कार्यालय प्रधान
19.	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण [illegible] समीक्षा के कम में प्रभारी पदाधिकारी, जिला [illegible] शाखा द्वारा बताया [illegible] जिला कल्याण पदाधिकारी, श्री कमर आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, श्री जयचन्द यादव, वरीय उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का जॉच प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है। संबंधित पदाधिकारियों को इस सप्ताह में जॉच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।	संबंधित पदाधिकारी

	समीक्षा के क्रम में अधीक्षक, डी०एम०सी०एच० द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण विभाग के पास लगभग 6 करोड़ रूपये का डी०सी० विपत्र लंबित है। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को या तो डी०सी० विपत्र समर्पित करने या राशि लौटाने का निदेश दिया गया। अधीक्षक द्वारा यह भी बताया गया कि माह मई में मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया का निरीक्षण होने वाला है। डी०एम०सी०एच० भवन के कई विभागों में उपरोक्त निरीक्षण को दृष्टिगत रखते हुए मरम्मति कार्य किये जाने हैं। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को उपरोक्त मरम्मति कार्य निरीक्षण से पूर्व करवाने का निदेश दिया गया। अधीक्षक द्वारा यह भी बताया गया कि डी०एम०सी०एच० के एच०टी० विद्युत कनेक्शन से परिसर में रहने वाले कई कर्मियों द्वारा अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन ले लिया गया है। वे मीटर भी नहीं लगवा रहे हैं और विद्युत विपत्र का सारा भार डी०एम०सी०एच० पर पर रहा है। उन्हे निदेश दिया गया कि ऐसे कर्मियों की सूची अविलंब उप समाहर्त्ता, विद्युत को दें ताकि उनके स्तर से कार्रवाई की जा सके। अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आकस्मिक विभाग में सी०सी० टी०वी० कैमरा लगाया जा चुका है। श्री कमर आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, स्वास्थ्य को निदेश दिया गया कि वे उक्त सी०सी० टी०वी० कैमरा के फुटेज की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करें। साथ ही अधीक्षक को निदेश दिया गया कि वे आई०सी०यू० एवं गायनी वार्ड में भी सी०सी० टी०वी० कैमरा लगवाना सुनिश्चित करें। डी०एम०सी०एच० परिसर में अवैध गाड़ियों को घुसने से रोकने के लिए सुरक्षा गार्ड लगवाने का भी निदेश अधीक्षक को दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षक, डी०एम०सी०एच०/श्री कमर आलम, वरीय उप समाहर्त्ता, विद्युत
21.	भारतीय स्टेट बैंक, दरभंगा शाखा के पीछे अवस्थित दरभंगा राज का पुराना क्वार्टर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। वहाँ के सामग्रियों का मूल्यांकन कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को दिया गया। उन्हे यह भी निदेश दिया गया कि उपरोक्त क्वार्टर के स्थान पर पदाधिकारियों के आवासन हेतु हॉस्टल का प्रस्ताव तैयार कर समर्पित करें।	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग
22.	15 मई 2015 के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। अतः सभी कार्य एजेन्सियों को निदेश दिया गया कि जिन योजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन हो सकता है, उस शीघ्र करावें।	सभी कार्यकारी एजेन्सी
23.	मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त जन शिकायत काफी बड़ी संख्या में विभिन्न पदाधिकारियों के पास निष्पादन हेतु लंबित है। इन सभी पदाधिकारियों को उनके जिम्मे लंबित जन शिकायतों का ब्यौरा नोट करवाया गया एवं उन्हें निदेश दिया गया कि इसका निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करावें।	संबंधित पदाधिकारी

Sd/-
जिलाधिकारी,
दरभंगा

ज्ञाप संख्या 1515 /सी0, लहेरियासराय, दिनांक 20 अप्रील, 2015.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।